

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-*36

सोमवार, 24 जून, 2019/3 आषाढ, 1941 (शक)

पुरुष-महिला बेरोजगारी वृद्धि दर

*36. श्री दीपक बैज:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) इस समय देश में राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार कितनी बेरोजगारी है;
- (ख) क्या देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है जिसमें महिलाओं में बेरोजगारी अधिक बढ़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत एक दशक के दौरान पुरुष-महिला बेरोजगारी वृद्धि दर कितनी रही और इसी अवधि के दौरान सरकार द्वारा रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध कराए गए; और
- (घ) क्या बेरोजगारी की दर ग्रामीण महिलाओं की तुलना में शहरी महिलाओं में अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

पुरुष-महिला बेरोजगारी वृद्धि दर के बारे में श्री दीपक बैज द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *36 के भाग (क) से (घ) के लिए दिनांक 24.06.2019 को दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क से घ): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में सभी आयु के पुरुषों तथा महिलाओं में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर नीचे दी गई है:

बेरोजगारी दर (% में)					
क्षेत्र	व्यक्ति की श्रेणी	(एनएसएस सर्वेक्षण अवधि)			
		2004-05 (एनएसएस 61वां दौर)	2009-10 (एनएसएस 66वां दौर)	2011-12 (एनएसएस 68वां दौर)	2017-18* (पीएलएफएस)
ग्रामीण	पुरुष	1.6	1.6	1.8	5.8
	महिला	1.8	1.6	1.7	3.8
	व्यक्ति	1.7	1.6	1.7	5.3
शहरी	पुरुष	3.8	2.8	3.0	7.1
	महिला	6.9	5.7	5.2	10.8
	व्यक्ति	4.5	3.4	3.4	7.8
ग्रामीण+शहरी	पुरुष	2.2	2.0	2.1	6.2
	महिला	2.6	2.3	2.4	5.7
	व्यक्ति	2.3	2.0	2.2	6.1

(टिप्पणी: *तुलना हेतु, पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है जिसके तहत सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन को तैयार किया गया है)

बेरोजगारी दर का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

नियोजनीयता में सुधार करने के साथ-साथ रोजगार का सृजन करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 31.05.2019 तक, योजना ने 151579 प्रतिष्ठान तथा 1.21 करोड़ लाभार्थी शामिल कर लिए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 31 मार्च, 2019 तक, योजना के तहत 18.26 करोड़ का कुल संचयी ऋण संस्वीकृत किया गया।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के योग्य बनाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने तथा उनकी रोजगार आवश्यकता को पूर्ण करने में सहायता करेगा।

लोक सभा के दिनांक 24.06.2019 के तारांकित प्रश्न संख्या *36 के भाग (क से घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2017-18 (पीएलएफएस) के दौरान सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) दृष्टिकोण के अनुसार सभी आयु के व्यक्तियों हेतु बेरोजगारी दर के राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)		
		पुरुष	महिला	व्यक्ति
1.	आंध्र प्रदेश	4.8	4.0	4.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.9	12.0	5.9
3.	असम	7.2	13.9	8.1
4.	बिहार	7.4	2.8	7.2
5.	छत्तीसगढ़	3.3	3.3	3.3
6.	दिल्ली	9.4	11.4	9.7
7.	गोवा	8.1	26.0	13.9
8.	गुजरात	5.0	4.1	4.8
9.	हरियाणा	8.1	11.4	8.6
10.	हिमाचल प्रदेश	6.4	4.3	5.5
11.	जम्मू और कश्मीर	4.2	8.4	5.3
12.	झारखंड	8.2	5.2	7.7
13.	कर्नाटक	4.9	4.7	4.8
14.	केरल	6.2	23.2	11.4
15.	मध्य प्रदेश	5.3	2.1	4.5
16.	महाराष्ट्र	4.7	5.4	4.9
17.	मणिपुर	10.2	15.9	11.6
18.	मेघालय	1.3	1.9	1.5
19.	मिजोरम	8.8	13.3	10.1
20.	नागालैंड	18.3	34.4	21.4
21.	ओडिशा	7.3	6.3	7.1
22.	पंजाब	7.0	11.7	7.8
23.	राजस्थान	6.0	2.3	5.0
24.	सिक्किम	2.6	5.2	3.5
25.	तमिलनाडु	7.8	7.2	7.6
26.	तेलंगाना	7.7	7.2	7.6
27.	त्रिपुरा	6.1	11.6	6.8
28.	उत्तराखंड	6.8	10.7	7.6
29.	उत्तर प्रदेश	6.9	3.1	6.4
30.	पश्चिम बंगाल	5.0	3.2	4.6
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5.3	42.8	15.8
32.	चंडीगढ़	5.2	20.8	9.0
33.	दादरा और नगर	0.6	0.0	0.4
34.	दमन और दीव	3.0	3.3	3.1
35.	लक्षद्वीप	12.5	50.5	21.3
36.	पुडुचेरी	7.2	21.7	10.3
	अखिल भारत	6.2	5.7	6.1